समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 5 /2015 निगरानी   निगरानी 182-III-15

22.1.15

श्री सुनील सिंह पाण्डेय एड. द्वारा आज दि 22.1.15 को प्रस्तुत

22.1.15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

तीरथ प्रसाद पिता भागीरथी ब्राहमण , निवासी मुडगुडी , थाना इंदवार , तहसील मानपुर , जिला उमरिया म.प्र. ।

............आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार तहसील मानपुर जिला उमरिया म.प्र. ।

..........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश 30.9.2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील मानपुर जिला उमरिया म.प्र. अधीन रा0प्र0 क 27/अ–12/13–14 ।

सुनील सिंह पाण्डेय एड.
22/1/15

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि निगरानीकर्ता तीरथ प्रसाद ब्राहमण पिता भागीरथी ब्राहमण निवासी ग्राम मुडगुडी द्वारा संहिता की धारा 129 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम मुडगुडी की आराजी खसरा क्र 771, 772,773,774 रकवा कमश 0.38, 0.09,0.26,0.54 हे. का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदन पत्र पंजीवद्ध कर अधीक्षक भू–अभिलेख उमरिया द्वारा दिनांक 4–1–2012 को सीमाकन किया गया । जिस आदेश की प्रति अनेक्चर पी–1 है। ।
2. यहकि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पत्र पर आवेदक को सीमाकन किये जाने सम्बधी कोई सूचना प्रस्तुत नही की गई , समक्ष मे बुलाकर सीमांकन नही किया गया आवेदक की अनुपस्थिति मे अवैध एंव त्रुटिपूर्ण सीमाकंन किया गया जिसकी कोई सूचना व सुनवाई का मोका नही दिया गया सीमांकन की सूचना दिनांक 18–2–2013 को की गई जबकि सीमांकन पहले ही 4.1.2012 को ही गई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 182–तीन/15 जिला–उमरिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–01–17	आवेदक के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। अनावेदक शासन के पैनल अभिभाषक श्रीमती नीना पाण्डे उपस्थित ।	
	2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील मानपुर, उमरिया के प्र0क्र0 27/अ–12/2013–14 में पारित आदेश 30.09.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की है।	
	3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया । अतः निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 30–09–2014 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का	

सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर तहसीलदार के निर्देश के पालन में दिनांक 04–01–12 को अधीक्षक भू–अभिलेख, उमरिया ने सीमांकन किया, जिस पर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्ड़बुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है।

1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।''

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं –

''म0प्र0 भू–राजस्व,संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।''

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,
2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 के नियम 11 से 14 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

'' भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहियों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढ़िवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन के दौरान सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना नहीं दी गई है तथा पंचनामा पर भी सभी सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, मानपुर, जिला–उमरिया द्वारा किया गया सीमांकन आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः सीमांकन आदेश दिनांक 30–09–2014 निरस्त किया जाकर, सीमावर्ती कृषकों को सीमांकन के पूर्व सूचना देने के उपरांत विधिवत सीमांकन करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, मानपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एस0एस0अली)
सदस्य